उत्तर प्रदेश सरकार
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, 19–सी, विधानसभा मार्ग,
उ0प्र0, लखनऊ–226001
दूरभाष–0522–2236172, फैक्स–0522–2235806
Web-www.uppbpb.gov.in

सूचना/विज्ञप्ति

समूह "घ" के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों के माध्यम से भरे जाने हेतु पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के 164 रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र 70 कार्मिकों की विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने हेतु "उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (समय–समय पर यथा–संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुरूप चयन प्रकिया के अर्न्तगत टंकण परीक्षा एवं लिखित परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में।

संख्याः पीआरपीबी–चार–10(15)/2021 दिनांकः जून 29 2022

उ0प्र0 पुलिस में पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, लिपिक एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक, लेखा नियमावली 2015 यथासंशोधित 2020 के अधीन समूह "घ" के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त कर्मचारियों के माध्यम से भरे जाने हेतु पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) के 164 रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र 70 कार्मिकों की विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरे जाने हेतु बोर्ड की समांक सूचना/विज्ञप्ति दिनांक 24.06.2022 द्वारा लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम से अवगत कराते हुये टंकण परीक्षा की तिथि 10.07.2022 नियत की गयी थी।

2– अपरिहार्य कारणों से दिनांक 10.07.2022 को आयोजित की जाने वाली टंकण परीक्षा अब 11.07.2022 को निर्धारित की गयी है। हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थी अपना प्रवेशपत्र वाह्य एजेन्सी के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। समस्त पात्र अभ्यर्थी हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा की तैयारी पूर्ण रखें **इसके अतिरिक्त दिनांक 11.07.2022 को पुनर्निधारित अर्ह प्रकृति की टंकण परीक्षा के 04 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 15.07.2022 को लिखित परीक्षा की तिथि नियत है। टंकण परीक्षा में उत्त्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी ही लिखित परीक्षा में प्रतिभाग कर सकेगें, इस सम्बन्ध में टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा सम्बन्धी प्रवेश पत्र बाद मे बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा।**

3– यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनायें इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही हैं, उनके सम्बन्ध मे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अर्न्तगत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

Prasad 29.6.2022
अपर सचिव, प्रोन्नति
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।